न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 23/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. झुंझारसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत उम्र 67 वर्ष निवासी- 35/2, शक्ति नगर गली नं.2 जोधपुर		1. ओमसिंह पुत्र श्री देवीसिंह 2. रामसिंह पुत्र श्री देवीसिंह 3. भगवासिंह पुत्र श्री देवीसिंह 4. श्रीमती हुकम कंवर पत्नि श्री देवीसिंह जातियान-राजपूत निवासीयान-ग्राम लोरड़ी पंडितजी तहसील व जिला जोधपुर 5. तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 948 ग्राम लोरडी पंडितजी जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 11.11.2021 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति:- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश प्रजापति उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 21.04.2025

अपीलान्ट झुंझारसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत उम्र 67 वर्ष, निवासी 35/2, शक्ति नगर, गली नम्बर 2, जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट ओमसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी लोरडी पण्डितजी तहसील व जिला जोधपुर व अन्य के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 11.11.2021 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 948 ग्राम लोरडी पण्डितजी को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम लोरडी पंडित जी तहसील व जिला जोधपुर में एक सामलाती कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व सह खातेदारो के नाम से खसरा संख्या 94 में स्थित भूमि रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी 4 (चतुर्थ) आई हुई है, जिसमें से खातेदार दुर्गसिंह, देवीसिंह पुत्रान सूरजमल सिंह, खींवसिंह, पूनमसिंह, जेठूसिंह, भीखसिंह पुत्रान मोतीसिंह, भंवर कंवर पत्नी श्री मोतीसिंह, रतनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, दरया कंवर पत्नी विजयसिंह ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि में से रकबा 2.8 बीघा कृषि भूमि का बेचान अपीलांट के पक्ष में दिनांक 28.12.2012 को कर दिया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता देवीसिंह ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के अपीलांट को दिनांक 28.12.2012 को बेचान कर दिया जिसका बेचान पंजीयन दिनांक 28.12.2012 की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 566, पृष्ठ संख्या 117, क्रम संख्या 2012011757 पर उप पंजीयक प्रथम, जोधपुर के यहां पंजीबद्ध है। इस प्रकार अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के पिता देवीसिंह जी के हिस्से में आई सम्पूर्ण हिस्सा भूमि खरीद कर अपना कब्जा प्राप्त कर काश्त करते आ रहे है तथा आज दिन तक अपीलांट उक्त खसरा संख्या 94 के काबिज मालिक है। रेस्पोडेन्ट के पिता देवीसिंह की मृत्यु दिनांक 14.01.2018 को हो जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अन्य खसरों सहित खसरा संख्या 94 में भी अपने पिता व पति की जगह अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवा का नामान्तरकरण संख्या 948 दिनांक 11.11.2021 को स्वीकृत करवा लिया। रेस्पोडेन्टस को खसरा संख्या 94 की कृषि भूमि का बेचान का पता होते हुए भी गलत रूप से नामान्तरकरण दर्ज

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

करवा लिया तथा हल्का पटवारी ने भी नामान्तरकरण दर्ज करते समय कब्जे के बारे में किसी प्रकार की जांच नहीं की। अपीलांट को के सी सी बनाने की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से उक्त खसरा संख्या 94 की जमाबंदी व म्यूटेशन संख्या 948 की दिनांक 07.10.2022 को सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि अपीलांट का उक्त खसरा संख्या 94 में नाम नहीं है जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध एवं प्रकृति न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने, रेस्पोडेन्ट के पिता देवीसिंह व सहखातेदारों द्वारा खसरा संख्या 94 में से अपने हिस्से की भूमि का बेचान अपीलांट को करने पर बेचाननामा की प्रति हल्का पटवारी को दी गई एवं बेचाननामा पंजीबद्ध होने पर पंजीयन कार्यालय भी नामान्तरकरण में दर्ज करने हेतु एक प्रति तहसीलदार को भेजता है, जिससे अपीलांट निश्चित हो गया कि उसकी खातेदारी दर्ज हो गई है एवं अपीलांट उक्त कृषि भूमि में कब्जा काश्त हो गया लेकिन इसके बावजूद भी हल्का पटवारी एवं तहसीलदार ने बिना जांच किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जाने, रेस्पोडेन्ट के पिता व सहखातेदारों द्वारा रजिस्टर्ड बेचाननामा करवाया गया है जो आज भी अस्तित्व में है तथा बेचाननामा को आज दिन तक खारिज नहीं करवाया जाने पर उक्त नामान्तरकरण संख्या 948 निरस्त योग्य होने, उक्त नामान्तरकरण संख्या 948 दर्ज करते समय तहसीलदार व हल्का पटवारी द्वारा किसी भी प्रकार का मौके का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया न ही सरपंच व अन्य से पूछताछ किये बगैर बाले बाले नामान्तरकरण दर्ज करने, अपीलांट की सहमति लिये बगैर व मौके की वस्तुस्थिति की जांच किये बगैर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने, अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु भू राजस्व अधिनियम के अधीन राजस्थान भू राजस्व (लैण्ड रेकर्ड रूल्स) 1957 उल्लेखित प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी करने व नियमों की पालना नहीं करने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज होने की जानकारी के बाद अविलम्ब अंदर म्याद पेश की जा रही है। माननीय न्यायालय अपील प्रस्तुति में देरी होना माने तो सद्भाविक देरी को कन्डोन कराने हेतु अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा खसरा संख्या 94 की भूमि पर दिनांक 11.11.2021 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 948 ग्राम लोरडी पण्डितजी को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्टस की तामिली के बावजूद कोई उपस्थित नहीं होने से अपीलान्ट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश प्रजापति ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए खसरा संख्या 94 में स्व.श्री देवीसिंह की सहखातेदारी की रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि का तहसीलदार, जोधपुर द्वारा दिनांक 11.11.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 948 ग्राम लोरडी पण्डितजी को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि ग्राम लोरडी पण्डितजी तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 94 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता व पति स्व.श्री देवीसिंह व सहखातेदारों की रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि में से अपीलार्थी द्वारा 2.8 बीघा कृषि भूमि दिनांक 28.12.2012 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के क्रय की गयी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता व पति स्व.श्री देवीसिंह व सहखातेदारों द्वारा उक्त बेचान की गयी 2.8 बीघा भूमि पर उनका कोई हक व अधिकार नहीं होने के बावजूद तहसीलदार जोधपुर द्वारा बिना जांच व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विरासत का नामान्तरकरण संख्या 948 ग्राम लोरडी पण्डितजी स्व. श्री देवीसिंह के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दिया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

ग्राम लोरड़ी पण्डितजी के खसरा संख्या 94 में स्व.श्री देवीसिंह की सहखातेदारी की 4 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि में से अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2012 में 2.5 बीघा भूमि क्रय की गयी थी जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता व पति स्व.श्री देवीसिंह व सहखातेदारों द्वारा अपीलार्थी को स्व.श्री देवीसिंह के जीवनकाल में ही जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 28.12.2012 द्वारा बेचान की गयी थी। अपीलार्थी द्वारा क्रय की गयी उक्त भूमि की जानकारी होते हुए भी तहसीलदार जोधपुर द्वारा बिना जांच किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 9448 स्वीकृत किया गया है। जिससे ग्राम लोरड़ी पण्डितजी के खसरा संख्या 94 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता व पति स्व. श्री देवीसिंह व सहखातेदारों से अपीलार्थी द्वारा क्रय की गयी भूमि की हद तक भरा गया नामान्तरकरण संख्या 9448 दिनांक 11.11.2021 शुरू से ही अवैध एवं शून्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 11.11.2021 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 9448 ग्राम लोरड़ी पण्डितजी को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता व पति स्व.श्री देवीसिंह के हक व हिस्से की भूमि की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे ग्राम लोरड़ी पण्डितजी के खसरा संख्या 94 में स्व.श्री देवीसिंह की सहखातेदारी की 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता व पति स्व.श्री देवीसिंह के हक व हिस्से की भूमि की हद तक अपीलार्थी द्वारा क्रय की गयी भूमि के संबंध में पूर्ण जांच कर व पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति मय अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner